केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मनिरका
नई दिल्ली – 110067

संचिका सं.CICOM/R/2018/00499 **दिनांक 18.05.2018**

सेवा में,

श्री होशियार सिंह, पुत्र – स्व0 श्री धनी सिंह

विषय:- सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपका दिनांक 09.05.2018 का आर.टी.आई. आवेदन जो दिनांक 14.05.2018 को केन्द्रीय सूचना आयोग में डायराईज हुआ (डायरी सं. 130317) तथा आयोग के आर.टी.आई. प्रकोष्ठ में दिनांक 16.05.2018 को प्राप्त हुआ, से संबंधित बिंदुवार सूचना निम्नलिखित है:-

बिंदु सं. 1	आर.टी.आई.-एम.आई.एस. में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार मई, 2014 के बाद केन्द्रीय सूचना आयोग में श्री नारायण सिंह का केवल एक आर.टी.आई. आवेदन प्राप्त हुआ है ।
बिंदु सं. 2	वांछित सूचना केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी एवं उप-पंजीयक, सूचना आयुक्त - वाई.ए. कार्यालय द्वारा प्रदान की जाएगी जिन्हें आपका आवेदन आर.टी.आई. – एम.आई.एस. द्वारा ऑनलाइन अग्रसारित कर दिया गया है ।
बिंदु सं. 3	अन्य विभागों में दाखिल किए गए आर.टी.आई. आवेदनों का रिकार्ड केन्द्रीय सूचना आयोग में उपलब्ध नहीं है ।
बिंदु सं. 4	केन्द्रीय सूचना आयोग में प्राप्त द्वितीय अपीलों/शिकायतों का विवरण एवं आयोग का निर्णय आयोग की वेबसाईट www.cic.gov.in के citizen service कॉलम में उपलबध है, जहाँ से अपीलकर्ता/शिकायर्ता का नाम डालकर उनके द्वारा दाखिल अपील/शिकायत का विवरण प्राप्त किया जा सकता है ।
बिंदु सं. 5, 6 एवं 7	सूचना उपलब्ध नहीं है, साथ ही उल्लेख किया जाता है कि आपके द्वारा मांगी गई सूचना, सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2 (च) में वर्णित सूचना की परिभाषा में शामिल नहीं है ।

यदि आप उपरोक्त सूचना से संतुष्ट नहीं है तो इस सूचना की प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर प्रथम अपील श्री आर. के. सिंह, अपर सचिव एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 दूरभाष – 011-26162290 पर की जा सकती है ।

(ए. के. शर्मा)
केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी,
आर.टी.आई.सेल
दूरभाष – 011-26172690

1	**श्री आर. पी. गोवर, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी एवं उप-पंजीयक, सूचना आयुक्त-वाई.ए. कार्यालय, केन्द्रीय सूचना आयोग ।**	बिंदु सं. 2	उक्त आवेदन दिनांक 17.05.2018 को आर.टी.आई.-एम.आई.एस. के द्वारा ऑलाइन अग्रसारित किया जा चुका है । कृपया वांछित सूचना निर्धारित अवधि के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, यदि वांछित सूचना आपसे संबंधित नहीं है तो कृपया संबंधित अधिकारी को अग्रसारित करें ।